(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2018/0098 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 268/अपील/2015-16.

---

1. किशोरीलाल वल्द नानकराम जाति किराड़
2. मिश्रीलाल वल्द नानकराम जाति किराड़

दोनो निवासी चिचोलीढ़ाना तह. भैंसदेही,

जिला बैतूल, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. काडमू पिता छोटेलाल जाति मेहरा
2. रूंजूलाल पिता छोटेलाल जाति मेहरा
3. मन्नूलाल पिता छोटेलाल जाति मेहरा
4. हरि पिता छोटेलाल जाति मेहरा
5. मुरली पिता छोटेलाल जाति मेहरा .....अनावेदकगण

श्री संतोष नरवरे, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री संदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/2/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 28.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, भैंसदेही के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मौजाधुड़ियानई स्थित भूमि खसरा नं. 53 रकबा 9.417 हैक्टेयर भूमि अनावेदकगण के पिता द्वारा आवेदकगण से दिनांक 08.01.1985 को 5000/- रू. में क्रय की थी, जिसका विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं होने के कारण नामांतरण नहीं हो सका है, परन्तु क्रय दिनांक से ही अनावेदकगण का कब्जा है। अतः कब्जे के आधार पर खसरे के कॉलम नं. 12 में अनावेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर अभिलेख दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 41/अ-6/2011-12 पंजीबद्ध कर दिनांक 31.10.2012 को आदेश पारित कर अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भैंसदेही के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 11.12.2012 को विलंब से प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25.03.2014 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.11.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 31.10.2012 विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किया गया एवं तहसीलदार को संहिता की धारा 110 के प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन कर आगामी दो माह में अनावेदकगण के नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.10.2012 को आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 08.01.1985 को अपंजीकृत बैनामा अवधि बाह्य होने तथा अपंजीकृत सौदा होने के कारण इस राजस्व न्यायालय से वास्तविक अनुतोष नहीं मिल सकता, पक्षकार सक्षम सिविल न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है, यह मानकर आवेदन खारिज किया गया है। यह आदेश लोक अदालत में पारित किया गया है और विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है कि लोक अदालत के किसी भी फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

(2) अनावेदकगण द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के खिलाफ तहसीलदार के उक्त आदेश के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश दिनांक 25.03.2014 को अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त कर अपील अस्वीकार की गई। उक्त दोनों आदेश विधि सम्मत एवं विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुकूल हैं।

(3) अनावेदकगण द्वारा पुन: अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा आलोच्य आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत दिनांक 28.11.2017 को एकांकी दृष्टिकोण अपनाते हुए आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों एवं विधि द्वारा प्रतिपादित नियमों एवं विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को नजर अंदाज करते हुए अपर अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार कर आदेश पारित किया गया, जो कि विधि के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण विधि की गंभीर क्षति हुई है।

(4) विधि का सर्वमान्य प्रतिपादित सिद्धांत है कि लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, लोक अदालत का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का 39 नंबर संशोधित अधिनियम 2002 के अध्याय 6 लोक अदालत 21 के खण्ड 2 के अनुसार लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा अधिनिर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(5) आवेदकगण को अनावश्यक रूप से परेशान करने एवं उसकी कृषि भूमि ख.नं. 53 रकबा 9.417 हैक्टेयर ग्राम नईधुड़िया, प.ह.नं. 35, तह. भैंसदेही जिला बैतूल को हड़पने की नियत से बार-बार न्यायालयों को गुमराह कर अनावेदकगण बहुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.01.1985 का अपंजीकृत बैनामा अवधि बाह्य तथा अपंजीकृत सौदा होने के कारण राजस्व इस न्यायालय से वास्तविक अनुतोष नहीं मिल सकता, पक्षकार सक्षम सिविल न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है, अवधारित किया गया है। अत: पक्षकारों को सिविल न्यायालय में जाना आवश्यक है।

(6) पक्षकारों के मध्य आपसी सदभाव उत्पन्न होने तथा पक्षकारों के मध्य हमेशा के लिए विवाद समाप्त होने, धन, समय, श्रम की बचत करने एवं अनावश्यक बहुवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से लोक अदालतों की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा पारित

निर्णय अंतिम व सभी पक्षकारों पर आबद्धकारी होते हैं, जिनकी कोई अपील नहीं होती है। तहसीलदार का आदेश सत्य एवं विधि सम्मत व विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुकूल है तथा अपर आयुक्त का आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों, नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 वैधानिक एवं उचित है। यह भी कहा गया कि प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण-दोष पर करना चाहिए, ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके। इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में मात्र संहिता की धारा 115-116 के अन्तर्गत कब्जा दर्ज करने की मॉग की थी, लेकिन अपर आयुक्त ने अपंजीकृत विक्रय पत्र पर नामान्तरण की कार्यवाही के निर्देश दे दिये है, जो पूरी तरह अनुचित है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-11-2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर